

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## निर्देश

संयुक्त निदेशक, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग के पत्र क्रमांक प.5 (56)/शिक्षा-2/2020 जयपुर दिनांक 10.08.2020 द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार महिला कर्मचारी को विधि मान्य संतान की देखभाल हेतु ही चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत की जा सकती है । सरोगेसी से उत्पन्न संतान को समुचित विधिक प्रावधानों के अभाव में मान्यता प्राप्त नहीं हुई है । अतः सरोगेसी से प्राप्त संतान की देखभाल हेतु चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत नहीं किया जा सकता है ।


उक्त मार्गदर्शन वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. संख्या 212000317 दिनांक 24.07.2020 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर प्राप्त हुआ है ।

/  
वितीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/स्थिरी/34848/2017  
प्रतिलिपि:

दिनांक 03.09.2020

1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा परिक्षेत्र ।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
3. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
4. समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक ।
5. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन एबी/सी/एफ/सामान्य प्रशासन ।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
7. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।

  
वितीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर